न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/468

1. गोपी लाल आत्मज छीतर जाति बैरवा निवासी गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. भोली बाई उर्फ गोपाली पत्नी पांचू लाल जाति बैरवा निरवासी गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शांति देवी पत्नी रतीराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बुद्धि प्रकाश आत्मज रतीराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. विजेन्द्र आत्मज रतीराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. पांचू लाल आत्मज छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मंगला बैरवा आत्मज श्री सोबक्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा हाल निवासी रेतिया चौकी, कोटा ।
6. दयाल बैरवा आत्मज श्री सोबक्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम गंभीरा हाल निवासी रेतिया चौकी, कोटा ।
7. रामदेव आत्मज सुखा बेरवा जाति बैरवा निवीस गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. गोपी आत्मज सुख बैरवा जाति बैरवा निवीस गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. प्रहलाद आत्मज सुखा बैरवा जाति बैरवा निवासी गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. भू–स्वामी जरिय तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 2305 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2306 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा कुल 02 किता की 18 बीघा 18

बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है । वादीगण के खातेदारी की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता आम सडक से गंभीरा से समीधी जाने वाले रोड से फटकर खसरा नम्बर 2302 एवं खसरा नम्बर 2314 के बीच की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 2305 तक पहुंचता है । यह रास्ता करीब 12 फीट चौडा है जो अनाधिकाल से चला आ रहा है । इसी रास्ते में होकर खसरा नम्बर 2305 व 2306 के खातेदार आवागमन करते हैं । इस रास्ते का वादीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित रास्ते को वादीगण की भूमि में जाने का रास्ता घोषित करवाकर 15 फीट चौडा करावे एवं नक्शा ट्रेस एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित व परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को वादीगण के खातेदारी आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 2305 में पहुंचने का रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते को 15 फीट चौडा किया जावे रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस एंव अन्य भू–राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के सुखाधिकारों में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. न्यायालय हाजा में अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की मृत्यु हो चुकी है । उनसे कोई सहायता नहीं मांगी है वह फोरमल पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनका नाम डिलीट किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की मृत्यु दिनांक 16.02.2018 को हुई थी इनके कायममुकामान नहीं बनाये गये हैं । अतः अपील अबेट हो चुकी है ।

9. अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार पांचू लाल की मृत्यु दिनांक 16.02.2018 को हुई है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2018 को मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 का नाम डिलीट किया जावे ।

10. अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनानुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 4 से उनके द्वारा कोई सहायता नहीं चाही है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 का नाम डिलीट करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्धान् अभिभाषक द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

12. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में रसीद दिनांक 06.07.2018 की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 खाता संख्या 324, खाता संख्या 320, 325, 186 की प्रमाणित प्रतियॉ, पटवारी सिंचाई प्रमाण पत्र और नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 खाता संख्या 128 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 खाता संख्या 255 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं । पेश किये गये दस्तावेजात में से रसीद दिनांक 06.07.2018 की फोटो प्रति है प्रमाणित प्रति नहीं है । शेष दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ है, प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । संलग्न दस्तावेजात में रसीद दिनांक 06.07.2018 को छोडकर शेष दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 251 (क) एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रास्ता चाहने बाबत् पेश किया और अपीलान्ट को सूचना और सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में एक तरफा निर्णय पारित करते हुए रास्ता कायम किया गया है । न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है । अपीलान्ट खातेदार कृषक है जिसको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसके खाते की आराजी में से रास्ता दिया गया है । अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार पांचू लाल की मृत्यु दिनांक 16.02.2018 को हुई है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2018 को मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट क्रम 4 का नाम डिलीट किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

14. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खाते की आराजी में जाने के लिए रास्ता कायम करने करने की प्रार्थना की थी । रेस्पोडेन्ट के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में राशि भी जमा करवा दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर तहसील से प्रस्ताव लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में भूली बाई जो कि अपीलान्ट कम 2 है के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है । इसी तरह से प्रतिवादी कम 4, 5 एवं 6 लगायत 8 ने भी इकबालिया जवाब पेश कर रखा है । अपीलान्ट ने तथ्य छुपाकर अपील पेश की है, क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे ।

15. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया है कि अपीलान्ट गोपीलाल ने कोई सहमति नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है ।

16. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 27.04.2018 की आदेशिका के अनुार प्रतिवादीगण कम 3 लगायत 8 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया है । प्रतिवादी कम 1 व 2 उपस्थित नहीं हुए हैं । आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.07.2018 दी गई है और इससे पूर्व इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत के नोटिस पक्षकारों को जारी किये गये हों इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अपीलान्ट संख्या 1 जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 01 है उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अन्य पक्षकारों ने जो इकबालिया जवाब पेश किया है उनमें उन पक्षकारों की पहचान अथवा प्रमाणीकरण नहीं है । पत्रावली पर जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है उसमें यह भी अंकित नहीं है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । धारा 251 (ए) के तहत तभी नया रास्ता कायम किया जा सकता है जब अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा